

11-9-23

भरतपुर संभाग, भरतपुर

पञ्जावली पेशा हुई। स्वयं अपील-2 उपरो अपील-2 के
 द्वारा प्रा.पत्र मप आचार लॉड एवं जारी नोटिस की प्रति
 पेश करते हुए कथन लिखा कि मेरा उक्त अर्थ पर कोई
 कच्चा नही है न कोई लेना देना है। मैं इस अपील को खारिज
 कराना चाहता हूँ। अपने कथनों की तर्क में अपील-2 न अपने
 दस्तावेज ओडिशिका पर अंकित किए। ऐसी स्थिति में जब स्वयं
 अपील-2 इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते और
 इसी स्तर खारिज कराना चाहते हैं। तो अब उक्त
 अपील को आगे नलाए जाने का कोई औचित्य
 नहीं रहता है। लिहाजा यह अपील स्वयं अपील-2
 के द्वारा आगे न चलाने एवं इसी स्तर पर खारिज
 कराने की मेरा क अनुरोध यह अपील बिना
 किसी गुणानुषण पर विचार किए इसी स्तर
 पर खारिज की जाती है। पञ्जावली केन्द्रल शमा
 होमा बाद प्रति डालित दफ्तर की जाने।

परमानन्द

18/9/2023
 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर